



कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007

Website : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या : / पी.ए. / 2021

दिनांक :

ई-मेल / अति आवश्यक

कार्यालय-ज्ञाप

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय
(लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं हरदोई)।
महोदय / महोदया,

कृपया उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या : 2838 / सत्तर-3-2021, दिनांक 26.11.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग, निदेशालय एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों से महाविद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि महाविद्यालय में अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं व पठन-पाठन का कार्य मानकानुसार सुनिश्चित रखने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि संलग्न पत्र में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा शासन के निर्देशानुसार किसी भी समय महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकता है।

भवदीय

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : AP/2021-800

दिनांक : 06/12/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर-एम, आशियाना, लखनऊ।
5. ☒ इंचार्ज, वेबसाइट, ल०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों (जनपद-लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर खीरी व सीतापुर) को संलग्नकों सहित ई-मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव, ल०वि०वि०।
7. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2021

विषय - प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा हर माह कम से कम निम्नवत् महाविद्यालयों का निरीक्षण करके आख्या अपने उच्च अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

- | | |
|---|----|
| 1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज | 05 |
| 2. संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज। | 15 |
| 3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी | 25 |
| 4. कुलसचिव | 05 |
| 5. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव | 15 |
| 6. शासन स्तर के विशेष सचिव | 02 |
| 7. शासन के संयुक्त सचिव | 03 |

3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय निरीक्षण करने के उपरान्त अपनी आख्या निदेशक, उच्च शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा निरीक्षण आख्या को परीक्षापरान्त शासन को उपलब्ध करायेंगे।

4- सहायक कुलसचिव एवं उप कुलसचिव अपनी निरीक्षण आख्या सम्बन्धित कुलसचिव को उपलब्ध करायेंगे कुलसचिव परीक्षापरान्त निरीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5-विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उच्च शिक्षा तथा कुलसचिव अपनी निरीक्षण आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

6-प्रत्येक अधिकारी मासिक निरीक्षण आख्या महीने की 05 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

स्ख्या-2878 (1)/सत्तर 3 2021, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 2) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5) समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6) समस्त संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7) समस्त अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।